



2026:AHC:129272

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या - 20877 सन् 2026

वंश निषाद .....आवेदक

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य .....विपक्षी पक्ष

आवेदक के अधिवक्ता : करुणेश प्रताप सिंह, शिवम कुमार

विपक्षी पक्ष के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

**न्यायालय संख्या - 45**

माननीय न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह

1. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और उत्तर प्रदेश राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया।
2. यह जमानत याचिका आवेदक को मुकदमा अपराध संख्या 90/2026, धारा 318(4), 3(5) भारतीय न्याय संहिता और धारा 66 सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, पुलिस स्टेशन- खोराबार, जिला गोरखपुर में जमानत पर रिहा करने के लिए दायर की गई है।
3. आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक को इस मामले में झूठा फंसाया गया है। उसका कथित अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता आगे तर्क देते हैं कि इसी तरह की स्थिति वाले सह-आरोपी शक्ति जायसवाल को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा दिनांक 205.2026 को आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



16307/2026 मामले में पारित आदेश द्वारा जमानत दी गई है। । उन्होंने आगे तर्क दिया कि आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और वह 30.3.2026 से जेल में है।

4. इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत देने की प्रार्थना का विरोध किया, हालांकि, वे इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, शक्ति जायसवाल को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है।

5. मैंने दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए परस्पर विरोधी तर्कों पर विचार किया है और रिकॉर्ड पर लाए गए दस्तावेजों का अध्ययन किया है।

6. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान परिस्थितियों वाले सह-आरोपी, अर्थात् शक्ति जायसवाल को इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा जमानत दी जा चुकी है और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस आदेश को रद्द या स्थगित नहीं किया गया है, और आवेदक 30.6.2026 से जेल में बंद है, इसलिए मैं आवेदक को जमानत पर रिहा करना उचित समझता हूँ।

7. जमानत याचिका स्वीकार की जाती है।

8. उपरोक्त मामले में शामिल आवेदक **फैज अली** को, अपराध के लिए, संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुरूप एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो जमानतदार प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, निम्नलिखित शर्तों के अधीन। इसके अलावा, रिहाई आदेश जारी करने से पहले, जमानतदारों का सत्यापन किया जाए।

(i) आवेदक को यह वचन देना होगा कि वह साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए निर्धारित तिथि पर सुनवाई स्थगित करने का अनुरोध नहीं करेगा, जब गवाह न्यायालय में उपस्थित हों। इस शर्त का उल्लंघन करने पर, विचारण न्यायालय इसे जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर कानून के अनुसार आदेश पारित कर सकती है।

**अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।**



(ii) आवेदक प्रत्येक निर्धारित तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा। पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहने पर, विचारण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-ए/भारतीय न्याय संहिता की धारा 269 के तहत कार्यवाही कर सकती है।

(iii) यदि आवेदक विचारण के दौरान जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और उसकी उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 82/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 84 के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है और आवेदक ऐसी उद्घोषणा में तय तारीख को न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में विफल रहता है तो विचारण न्यायालय उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 174-ए/ भारतीय न्याय संहिता की धारा 209 के तहत कानून के अनुसार कार्यवाही शुरू करेगा।

(iv) आवेदक विचारण न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से निम्नलिखित तिथियों पर उपस्थित रहेगा: (1) मामले की शुरुआत, (2) आरोप निर्धारण और (3) दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 313/भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 351 के तहत बयान दर्ज करना। यदि विचारण न्यायालय की राय में आवेदक की अनुपस्थिति जानबूझकर या पर्याप्त कारण के बिना है, तो निचली अदालत ऐसी चूक को जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मानकर उसके खिलाफ कानून के अनुसार कार्यवाही कर सकती है।

9. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन जमानत रद्द करने का आधार होगा।

10. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को जमानत देते समय की गई टिप्पणियां किसी भी तरह से विद्वान विचारण न्यायालय के न्यायाधीश को गवाहों की गवाही के आधार पर अपनी स्वतंत्र राय बनाने से प्रभावित नहीं करेंगी।

(न्यायमूर्ति विवेक कुमार सिंह)

*अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।*



18 जून, 2026

कुमार मनीष

Translated version, Not for Legal Use.

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।  
सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।